



झाँसी पुलिस

प्रेस-नोट



थाना-मऊरानीपुर, जनपद-झाँसी

दिनांक-22.10.2026

थाना मऊरानीपुर पुलिस द्वारा मिड-डे मील योजना की चेक में कूटरचना कर सरकारी धन के गबन के अभियोग में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.08.2026 को वादिया श्रीमती सीमा सिंह पत्नी हृदेश सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत बौड़ा, थाना मऊरानीपुर, जनपद झाँसी द्वारा थाना मऊरानीपुर पर लिखित तहरीर दी गई थी कि अभियुक्त गोविन्ददास आर्य द्वारा माध्यमिक विद्यालय ग्राम बौड़ा में मिड-डे मील भोजन योजना की धनराशि के 15,000 रुपये के चेक में कूटरचित छेड़छाड़ कर उसे 2,15,000 रुपये दर्शाते हुए सरकारी धन का गबन किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मऊरानीपुर पर मु0अ0सं0 356/2026, धारा 318(4)/316(5)/336(3) BNS पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री विकास कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉ0 अरविन्द कुमार व क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर श्री रत्नेश्वर सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री मुकेश कुमार सोलंकी के कुशल नेतृत्व में-

आज दिनांक 22.10.2026 को उक्त अभियोग से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त गोविन्ददास आर्य को रानीपुर रोड सुखनई नदी के किनारे थाना मऊरानीपुर से गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए मा0 माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. गोविन्ददास आर्य पुत्र देवकीनन्दन आर्य निवासी नई बस्ती देवरीसिंहपुरा थाना मऊरानीपुर झाँसी

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री प्रान्जल सिंह परिहार
2. का0 आकाश चौधरी